न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 23 / 2024	2023 / 126	09.10.2024	19.02.2025

1– रहीसन पत्नी ईसब जाति मेव निवासी ग्राम बैगनहैडी तहसील तिजारा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा दिनाक 16.06.2020 नामान्तकरण संख्या 995 वाके ग्राम डोटाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री रतन सिंह –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 995 निर्णय दिनांक 16.06.2020 वाके ग्राम डोटाना अहीर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 722 रकबा 0.67 है0 का 5 / 15 दर 15 / 67 हिस्सा विक्रेता से व खसरा न0 726 रकबा 0.25 है0 का 1 / 4 भाग विक्रेता कौशिल्या देवी, नीलम गुलाटी शरणार्थी पुत्रियान मिलापचन्द से जरिये विक्रय पत्र दिनाक 10.06.2016 को खरीद की थी जिस पर वक्त खरीद से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। दिनाक 10.06.2016 को जिस दिन उक्त विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक में निष्पादन किया गया था, उस दिन उपरोक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही था। तथा आराजी हर प्रकार से भार–किफालत से पाक–साफ थी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम एक नामान्तकरण संख्या 995 दर्ज किया गया किन्तु नामान्तकरण दर्ज करने के पश्चात उपरोक्त आराजी पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने राजस्व वाद बअनुवान अज्जवल धवन बनाम अमरसिंह में स्थगन आदेश प्राप्त होने के पश्चात दिनाक 16.06.2020 को नामान्तकरण संख्या 995 वाके ग्राम डोटाना को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खारिज किया गया व धारा 39 का नोट का समाधान होने के पश्चात नामान्तकरण की पुनः कार्यवाही किये जाने के आदेश किये गये। उक्त आराजी की बाबत जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन था और जिसमें स्थगन आदेश जारी किया गया था वह वाद दिनाक 11.10.2022 को खारिज किया गया और उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नही है। इस संद्रर्भ में एक प्रार्थना पत्र मिन अपीलान्ट के द्वारा दिनाक 12.03.2024 को तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गयी। रिपोर्ट पटवारी दिनाक 18.03.2024 में यह दर्ज किया गया की वर्तमान में कोई स्थगन आदेश जारी नही है। किन्तु उसके बाद भी तहसीलदार तिजारा ने उक्त नामान्तकरण पर कोई कार्यवाही नही की गयी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2020 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, जानकारी होने पर कानूनी सलाह व आवश्यक ईन्तजाम कर बिना देरी के

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

यह अपील मिन अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु अपील के साथ प्रर्थक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2020 नामान्तकरण संख्या 995 वाके ग्राम डोटाना तहसील तिजारा निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम डोटाना तहसील तिजारा नामान्तकरण संख्या 995 दिनांक 16.06.2020 के विरूद्व दिनाक 07.10.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 4 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। जो अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2020 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 12.03.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 722 रकबा 0.67 है0 का 5/15 दर 15/67 हिस्सा विक्रेता से व खसरा न0 726 रकबा 0.25 है0 का 1/4 भाग विक्रेता कौशिल्या देवी, नीलम गुलाटी शरणार्थी पुत्रियान मिलापचन्द से जरिये विक्रय पत्र दिनाक 10.06.2016 को खरीद की थी, वक्त खरीद से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। दिनाक 10.06.2016 को जिस दिन उक्त विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक में निष्पादन किया गया था, उस दिन उपरोक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही था। तथा आराजी हर प्रकार से भार–किफालत से पाक–साफ थी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम एक नामान्तकरण संख्या 995 दर्ज किया गया किन्तु नामान्तकरण दर्ज करने के पश्चात उपरोक्त आराजी पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के राजस्व वाद बअनुवान अज्जवल धवन बनाम अमरसिंह में स्थगन आदेश प्राप्त होने के पश्चात दिनाक 16.06.2020 को नामान्तकरण संख्या 995 वाके ग्राम डोटाना को खारिज किया गया व धारा 39 का नोट का समाधान होने के पश्चात नामान्तकरण की पुनः कार्यवाही किये जाने के आदेश किये गये। प्रकरण में वर्णित आराजी के बाबत जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन/स्थगन आदेश जारी किया गया था, वह वाद दिनाक 11.10.2022 को खारिज हो चुका है, वर्तमान में उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्यहै।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार तिजारा को प्रतिप्रेषित किया जाता है, की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत जॉच कर निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2020 नामान्तकरण संख्या 995 वाके ग्राम डोटाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)